

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

बस्तर संभाग, जगदलपुर (छ0ग0)

क्रमांक/स्था0/संयु0संचा0/2015/ 411

जगदलपुर,दिनांक 18/05/2015

प्रति,

जिला सूचना विस्तार अधिकारी

जिला-बस्तर छ.ग.


विषय:- जिले के वेबसाईट www.bastar.gov.in में भर्ती विज्ञापन अपलोड करने बाबत।

संदर्भ:- कार्या.संभागीय संयुक्त संचालक ,स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग छ.ग. के पत्र क्रमांक/सं.सं./स्था. /2015/381 जगदलपुर दिनांक 6.05.2015

--000--

विषयान्तर्गत लेख है कि संभागीय कार्यालय के अंतर्गत संभागीय अस्पताल सलाहकार के भर्ती हेतु विज्ञापन प्रसारित हेतु कार्या.संभागीय संयुक्त संचालक ,स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग छ.ग. के पत्र क्रमांक/सं.सं./स्था./2015/381 जगदलपुर दिनांक 6.05.2015 को भेजा गया था। किन्तु अपरिहार्य कारणों से समाचार पत्रों में प्रकाशित न होने के कारण संशोधित वाकिंग इंटरव्यू की तिथी संशोधित किया जा रहा है। किया जा रहा है जो दिनांक 25.05.2015 के स्थान पर दिनांक 10.06.2015 को किया जा रहा है। कृपया उक्त विज्ञापन को (जिले के वेबसाईट www.bastar.gov.in में अपलोड) करने की कृपा करेंगे।


संलग्न :- 1. विज्ञापन की प्रति ।


संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें
बस्तर संभाग,जगदलपुर (छ.ग.)
जगदलपुर,दिनांक 18. /05/2015

पृ.क्रमांक/स्था0/संयु0संचा0/2015/ 411-5

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त बस्तर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. शासन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक (ईसीएसपीपी) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. राज्य नोडल अधिकारी (ईसीएसपीपी) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक जनसम्पर्क बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन स्थानीय स्तर पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।


संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें
बस्तर संभाग,जगदलपुर (छ.ग.)

समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप

**कार्यालय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
बस्तर छ.ग.**

walk-in interview

यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत पायलट परियोजना के तहत राज्य के बस्तर संभाग में संभागीय अस्पताल सलाहकार के ST-वर्ग के रिक्त पद पर भर्ती हेतु में (कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग ,जगदलपुर) में वॉक- इन-इंटरव्यू का आयोजन किया गया है,जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

s .n	Post Name	Total Post (Backlog)	Essential Qualification	Age Limit	Monthly Emoluments (Consolidated)	Datd of Walk-in-Interview& Address
1	Regional Hospital Consultant	ST-1	PG Degree/Diploma in Hospital Administration/Hospital Managament (All 2 years fulltime regular Course) from institution approved by UGC/AICTE.	18 to 64years	Rs- 40,000/- With additional fixed amt.-Rs 10,000/- for mobility support	दिनांक 10.06.2015 समय 10:00 बजे से कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर

नोट:-

1. भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम – शर्तें आयु सीमा एवं अन्य दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप,वेबसाईट www.bastar.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखे जा सकते हैं।
2. रजिस्ट्रेशन हेतु पद के सम्मुख उल्लेखित दिनांक को आवेदन को भरे हुये आवेदन पत्र (आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) तथा आवेदन शुल्क की राशि रु.500/- का बैंक ड्राफ्ट (संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर) के नाम से, जो कि बस्तर में दिये हो के साथ निर्धारित समय एवं स्थान में स्वयं उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।साक्षात्कार रजिस्ट्रेशन एवं आवेदनों की स्कूटनी पश्चात् लिया जावेगा।
3. अनिवार्य अर्हता अनुरूप केवल पात्र आवेदकों को ही साक्षात्कार प्रक्रिया हेतु ही चयनित किया जावेगा।

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
बस्तर संभाग छ.ग.

भर्ती के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश:-

1. रजिस्ट्रेशन के पश्चात् केवल पात्र उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जावेगा। अपात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जावेगा एवं उनके द्वारा जमा किया गया शुल्क भी वापसी योग्य नहीं होगा। अतः सभी आवेदन से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन में दी गई अर्हता के अनुसार योग्य होने पर ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेवे।
2. संभागीय स्वास्थ्य सलाहकार हेतु विज्ञापन में अर्हता के संबंध में उल्लेखित विशेषज्ञताओं (Administration / Hospital Managament) में ही PG Degree/Diploma होना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र दिये गये प्रारूप www.bastar.gov.in की प्रति वेबसाईट में ही प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदन पंजीयन के समय आवेदन पत्र के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता,जाति मूल निवासी,अनापत्ति,अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें एवं मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः अपने साथ लावें।
5. जन्म तिथि हेतु 10+2 (दसवी) के प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. आवेदन की आयु की गणना दिनांक 01.05.2015 के आधार पर की जावेगी।
7. पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।
8. आरक्षित पद केवल छ.ग. राज्य के मूल निवासी एवं आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के लिए है।
9. अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यार्थियों को छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित छानबीन समिति से जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. शासकीय/ अर्द्धशासकीय अथवा स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत उम्मीदवारों को उन संस्थानों के नियोक्त से अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन में संलग्न करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. अंतर्गत कार्यरत आवेदकों को उनके नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. अपूर्ण,अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
12. उक्त पदों के लिये पंजीयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर (विज्ञापन) में तालिका में दर्शायी गई दिनांक को प्रातः10:00 बजे से 12:00 बजे के पश्चात् हों। इस अवधि में पंजीकृत उम्मीदवार के आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा। प्रातः 12:00 बजे के पश्चात् उपस्थित उम्मीदवार के आवेदन पत्र/अभ्यावेदन अथवा प्रस्तुत दस्तावेज पर अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
13. प्रतीक्षा सूची जारी किये गए दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी।
14. आवेदक को पंजीयन एवं साक्षात्कार में उपस्थिति होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें संभाग बस्तर छ.ग. को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताएं किसी या समस्त आवेदनों को अमान्य अथवा निरस्त कर सकते हैं तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को भी निरस्त कर सकते।
16. किसी भी स्तर से व्यक्तिगत संपर्क अथवा दबाव डलवाने पर आवेदन को अपात्र घोषित किया जा सकता है।
17. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग छ.ग. का होगा। साक्षात्कार होने के उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों नहीं मिलने की दशा में भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग छ.ग. के पास सुरक्षित है।
18. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों में संविदा सेवा शर्तों के अधीन 1 वर्ष तक के लिए होगी तथा इस अवधि के पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेय समाप्त हो जावेगी।

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
बस्तर संभाग छ.ग.